

आर.सी.एम.एस. नम्बर 2023/17

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी:- चन्द्र प्रकाश वर्मा
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत धोषणार्थ एवं रिकार्ड दुरुस्ती

अन्तिम डिक्री मुकदमा इत्तादाई

मुकदमा नम्बर :- 5/2023 (सुगनाराम बनाम पेपसिंहवगैरह)

निर्णय दिनांक :- 07.08.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, चन्द्र प्रकाश वर्मा (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 07.08.2024 द्वारा पारित निर्णयानुसार ग्राम रिजाणी की सरहद में स्थित कृषि भूमि हाल खाता संख्या 155 के ख0न0 15 रकबा 0.50 है0, ख0न0 16 रकबा 0.18 है0, ख0न0 18 रकबा 0.13 है0 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 0.81 है0 की खातेदारी खाता संख्या 49 के खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम तथा इनके खाता संख्या 49 में दर्ज ख0न0 13 रकबा 0.87 है0 की खातेदारी खाता संख्या 155 के खातेदार वादी के नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर आदलत से आज तारीख 07.08.2024 को जारी की गई।



(चन्द्र प्रकाश वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर